

3

श्री अशोक शर्मा,
संस्था निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन।

File

सेवा में,

श्री,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिशन ब्लॉक 2 तल्लुगा जिल्हा,
प्राति विहार नई दिल्ली।

मिथा 171 अनुभाग

तख्तक: दिनांक: 6- अक्टूबर, 1995

विषय:- इन्टर नेशनल पब्लिक स्कूल अरब ली सी.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित
केतु अपात्रित प्रमाण पत्र दिदे जाने से सम्बन्ध में।

मजीउम,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह पत्र मिला कि इन्टर नेशनल पब्लिक
स्कूल अरब ली सी.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान दिदे जाने में इस राज्य
सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों से अर्थत अपात्रित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संज्ञीकृत सीसाइली का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय का प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
हस्तक होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यार्थियों में विभिन्न
पेशाओं के लिए अनर्थाहित मुक्त से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कति अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/वैदिक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय
माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल कार कि इंविजन स्कूल मधी/किसी
अपवाचितन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिकरों
से सम्बन्धित प्राप्त होने की गतिधि से परिषद से मान्यता तथा राज्य
सरकार से अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगी।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों को राज्यकी तहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य पेंशनधारियों तथा अन्य श्रम
भत्तों से कम पेंशनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिदे जायेगी।
- 161 कर्मचारियों को सेवा शीं बचायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त
अनारकाय उपत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य
सेवा सिद्धि का समन उपवाध कराये जायेगी।

17। राज्य सरकार द्वारा तन्मय तन्म पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तन्मया उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिकल्प यह भी होगा कि तन्मया द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि तन्मया कार्यरत तन्मय शिक्षार्थी/शिक्षक प्रशिक्षित तथा अर्थ है तथा तन्मय कर्मचारियों को वेतन मानकानुस्य ईक के माध्यम से दिया जा रहा है।

3- उक्त प्रतिकल्पों का पालन करना तन्मया के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तन्मय यह पाया जाता है कि तन्मया द्वारा उक्त प्रतिकल्पों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में तन्मया प्रभार को पूरा या शिथिलता बरतते जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भंडारी,

।
। ज्योति गोखली।
संयुक्त सचिव।

पृष्ठ सं 3062111/15-7-1995 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाओं हेतु प्रेषित है :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मध्यम उच्च शिक्षा निदेशक मेरठ।
- 3- जिला तद्विद्यालय निरीक्षक मेरठ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, जयपुरनेश्वर पाठशाला हनुम मेरठ।

। ज्योति गोखली।

। ज्योति गोखली।
संयुक्त सचिव।